(भारत के राजपत्र असाधारण भाग– I, खंड– I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 50/2015–2020
दिनांकः 17 मार्च, 2022

विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के एएनएफ 4च के दिशानिर्देशों में संशोधन।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एततद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के एएनएफ–4च के दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

मौजूदा पैरा 2(क) (i)	संशोधित पैरा 2(क) (i)
(i) परिशिष्ट 2प में दिए गए फॉर्म में ई–बीआरसी / निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र या दस्तावेजों की सीधे लेन देन के मामले में विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र (एफआईआरसी) या निर्यात आय के समायोजन के मामले में परिशिष्ट 2ठ।	(i) परिशिष्ट 2प में दिए गए फॉर्म में ई–बीआरसी / निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र या दस्तावेजों की सीधे लेन देन के मामले में विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र (एफआईआरसी) या निर्यात आय के समायोजन के मामले में परिशिष्ट 2ठ। **ओएफएसी सूचीबद्ध देशों को निर्यात के मामले में, निर्यातक एफआईआरसी को स्व–घोषणा के साथ प्रस्तुत कर सकता है कि संबंधित बैंक द्वारा ई–बीआरसी जेनरेट नहीं किया जा सका।**

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के एएनएफ–4च के दिशानिर्देशों में अग्रिम अधिकार–पत्र के तहत ओएफएसी सूचीबद्ध देशों को किए गए निर्यात के मामले में एफआईआरसी जमा करने की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
17.3.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फाइल संख्या 01/94/180/218/एएम21/पीसी–4 से जारी)